

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम GMC Industries छिगनलाल पुत्र घासीराम कुमावत, महेश कुमार पुत्र रामेश्वरलाल अग्रवाल मो.गफार पुत्र पीर मो. कुचामन

प्रा.पत्र नम्बर 163/2021

GCMS No.2021/198

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इन्लियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख में
जारी हुए

18/02/2022

वकील अप्रार्थीगण श्री रणवीर कुमावत के द्वारा आवेदन-पत्र एवं जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। अप्रार्थी वकील ने प्रार्थना-पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 1587/187 में खातेदारी भूमि आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरुद्ध एक-पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि को अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिये जाने से पूर्व निर्धारित रीति अनुसार प्राधिकारी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी यहाँ से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 -क के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर रखा है जिसके लिये नगरपालिका कुचामनसिटी में रसीद दिनांक 19.02.2021 राशि 106700/- जमा करा दिये गये है जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा होने से आगे की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने-अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं प्रस्तुत जवाब एवं नगरपालिका कुचामनसिटी में जमा रसीद संख्या 42/81/दिनांक 19.02.2021 का अवलोकन करने पर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.06.2021 एवं प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।




उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)